

भारत सरकार / Government of India वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance राजस्व विभाग / Department of Revenue कार्यालय / Office of the

मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र Chief Commissioner of Central Indirect Taxes & Customs, Nagpur Zone



F.No. GCCO/II/(3)/37/2025-ADMN-O/o CC-CGST-ZONE-NAGPUR



Dated: [Date of Digital Signature]

स्थापना आदेश क्रमांक.25/2025 ESTABLISHMENT ORDER NO. 25/2025

अपर आयुक्त, सीसीए, सीजीएसटी भोपाल जोन द्वारा जारी स्थापना आदेश संख्या 18/2025 दिनांक 29.4.2025 और सीजीएलई 2024 के परिणामों के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवारों के आवंटन के संबंध में कैडर कंट्रोल यूनिट सीजीएसटी भोपाल जोन द्वारा जारी मेल दिनांक 12-06-2025 के परिणामस्वरूप, इंस्पेक्टर के ग्रेड में निम्नलिखित स्थानांतरण और पोस्टिंग का आदेश तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक दिया जाता है: -: -

Consequent to the Establishment Order No. 18/2025 dated 29.4.2025 issued by the Additional Commissioner, CCA, CGST Bhopal Zone and mail dated 12-06-2025 issued by the Cadre Control Unit CGST Bhopal Zone regarding allocation of candidates recommended on the basis of results of CGLE 2024, the following transfer & posting in the grade of Inspector is hereby ordered with immediate effect and till further orders:-

S.N.	Name of the officer (Shri/Smt)	Designation	From	То
1.	Dharmendra Kosta	Inspector	CCO, Nagpur	Nagpur Appeals
2.	Porush Nagar	Inspector	CCO, Nagpur	Nagpur-I

2. आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर विशिष्ट तैनाति क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त / आयुक्त द्वारा की जाएगी।

The specific postings within the jurisdiction of the Commissionerate will be made by jurisdictional Principal Commissioner / Commissioner.

3. इस जोन में अब तक कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों को इस स्थापना आदेश के जारी होने की तिथि से इस कार्यालय से मुक्त माना जाता है। इसके अलावा, जिन अधिकारियों ने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे आगे चलकर सीधे अपने आवंटित आय्क्तालयों में कार्यभार ग्रहण करें।

The officers who have joined till date in this zone are hereby stand relieved from this office, from the date of issuance of this Establishment Order. Further, the officers who have not joined yet are directed to join directly to their allocated Commissionerates further on.

4. कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि चिरत्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन, जाति सत्यापन और शैक्षिक सत्यापन डीओपीटी और बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए समय - समय पर। इसके अलावा, यह सूचित किया जाता है कि अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों द्वारा दिए गए सभी अभ्यावेदन ज्वाइनिंग समय के विस्तार या किसी अन्य नियुक्ति संबंधी अनुरोध पर विचार किया जाएगा केवल संबंधित आयुक्तालय।

It may kindly be ensured that the verification of Character and antecedents, Caste verification and educational verification should be done as per the instructions issued by DoPT and Board from time to time. Further, it is informed that all representations made by the candidates requesting for extension of joining time or any other appointment related request will be entertained by the respective Commissionerate only.

5. इसके अलावा, सभी आयुक्तालयों से अनुरोध है कि वे प्रत्येक आयुक्तालय से एक अधिकारी को मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, भोपाल जोन, 35-सी, जीएसटी भवन, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल के कार्यालय से संबंधित संरचनाओं को आवंटित उम्मीदवारों के डोजियर एकत्र करने के लिए प्रतिनियुक्त करें।

Further, it is requested to all the Commissionerates to depute an officer from each Commissionerate to collect dossiers of candidates allocated to respective formations from Office of the Chief Commissioner, CGST Central Excise & Customs, Bhopal Zone, 35-C, GST Bhawan, Administrative Area, Arera Hills, Bhopal.

6. यह स्थापना आदेश मुख्य आयुक्त, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, नागपुर क्षेत्र, नागपुर के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This Establishment Order has been issued with the approval of the Chief Commissioner, Central Indirect Taxes & Customs, Nagpur Zone, Nagpur.

(Sharad G. Wankhede) Assistant Commissioner (CCO)

Copy to:

1. प्रधान मुख्य आयुक्त / मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी., सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भोपाल जोन / मुंबई जोन को, कृपया सूचना हेत्।

The Chief Commissioner, CGST, Customs & Central Excise, Bhopal Zone, for kind information please.

2. प्रधान आयुक्त / आयुक्त, सी.जी.एस.टी. नागपुर-I, सी.जी.एस.टी. नागपुर-II, लेखा परीक्षा नागपुर, अपील नागपुर, सीमा शुल्क नागपुर कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु |

The Principal Commissioner / Commissioner, CGST Nagpur-I, CGST Nagpur-II, Audit Nagpur, Appeals Nagpur, Customs Nagpur for information and necessary action please.

3. मुख्य लेखा अधिकारी, अधीक्षक (सतर्कता), सहायक मुख्य लेखा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी, सी.जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर जोन / सी.जी.एस.टी. नागपुर-।, सी.जी.एस.टी. नागपुर-॥, लेखा परीक्षा नागपुर, अपील नागपुर, सीमा शुल्क नागपुर कृपया सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

The Chief Accounts Officer, Superintendent (Vigilance), Assistant Chief Accounts Officer and Administrative Officer, CGST & Central Excise, Nagpur Zone/ CGST Nagpur-I, CGST Nagpur-II, Audit Nagpur, Appeals Nagpur, Customs Nagpur for information and necessary action please.

- 4. वेतन एवं लेखा अधिकारी, सी.जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नागपुर कृपया सूचना हेतु।
 The Pay & Accounts Officer, CGST & Central Excise, Nagpur for information please.
- 5. संबंधित अधिकारी को, अपने रिकॉर्ड और अनुपालन के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.cgstnagpur.gov.in से आदेश की प्रति डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है।

The individual concerned are advised to download copy of the order from the Official Website www.cgstnagpur.gov.in for his / her records and compliance.

6. अधीक्षक, सिस्टम शाखा, सी. जी. एस. टी. नागपुर-। आयुक्तालय को, आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्।

The Superintendent, Systems Branch, CGST Nagpur-I Commissionerate, for uploading on Official Website.

7. गार्ड फ़ाइल। Guard File.